फर्द अहकाम

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

प्र० संख्या :- 49/2020   नि.ति. 2.7.20

जयराम **बनाम** सरकार

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
02.07.2020	तहसीलदार कोटखावदा ने पत्रांक/भू0अ0/58 दिनांक 06.01.2020 के द्वारा प्रार्थना पत्र जयराम पुत्र शंकर के प्रार्थना पत्र के संबंध में जमाबंदी के खाता संख्या 155, 156, 173, 219, 52 में अपने पिता का नाम शंकर पुत्र गेंदा के स्थान पर शंकर पुत्र रामनिवास किये जाने का भिजवाये जाने पर प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तो तहसीलदार कोटखावदा द्वारा रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार प्रार्थी के पिता का नाम शंकर पुत्र गेंदा के स्थान पर शंकर पुत्र रामनिवास किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गयी है जिनके साथ राशन कार्ड, आधार कार्ड, शपथ पत्र एवं स्वयं का एवं पडौसी काश्तकार एवं सरपंच ग्रम पंचायत का प्रमाण पत्र पेश किये गये है। जिनमें शंकर पुत्र रामनिवास अंकित है एवं जमाबंदी ग्राम ठीकरिया गुजरान के खाता संख्या 213 में शंकर पुत्र रामनिवास के व प्रमाण पत्र सरंपच द्वारा दिया गया एवं स्वयं का एवं पडौसी काश्तकार का शपथ पत्र पेश किया। उक्त दस्तावेजात का एवं तहसीलदार की रिपोर्ट, सरपंच प्रमाण पत्र का परीक्षण किया गया तो प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0एक्ट0 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम ठीकरिया गुजरान तहसील कोटखावदा की जमाबंदी संवत 2072 से 2078 के खाता संख्या 156, 155, 173 , 219 एवं 52 के ग्राम ठीकरिया गुजरान में प्रार्थी के पिता का नाम शंकर पुत्र गेंदा के स्थान पर शंकर पुत्र रामनिवास शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी प्रकार ग्राम ठीकरिया गुजरान तहसील कोटखावदा की जमाबंदी 2072 से 2078 के खाता संख्या 156, 155, 173, 219 एवं 52 में शंकर पुत्र रामनिवास शुद्व अंकित किया जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर) 2.7.20 उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:10:15 IST
Reason: SelfAttested

...\jairam vs sarkar.docx